


पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर



( नैक द्वारा ग्रेड A+ प्रदत्त)

दूरभाष क्रमांक : (07752) 210312 फ़ैक्स : (07752) 213073

[www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in) Email - [registrar@pssou.ac.in](mailto:registrar@pssou.ac.in)



क्र. 653 / क्षे.से.प्र. / 2024

बिलासपुर, दिनांक 26 / 12 / 2024

प्रति,

.....  
.....  
.....

विषय :- सत्र जनवरी-दिसम्बर 2024 एवं सत्र जुलाई -जून 2024-25 में विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन के विषय में।

----- 000 -----

उपरोक्त विषय के अनुक्रम एवं संदर्भित पत्र के परिपालन हेतु विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय केंद्र एवं उनके अधीनस्थ अध्ययन केन्द्रों को सूचित किया जाता है कि सत्र जनवरी-दिसम्बर 2024 एवं सत्र जुलाई-जून 2024-25 में विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन, स्वीकृति एवं विवरण कार्यवाही वेबसाइट <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> पर ऑनलाइन की जा रही है।

आवेदन करने एवं संस्था स्तर पर उक्त प्रकरणों से संबंधित प्रक्रियाओं हेतु निम्नानुसार अंतिम तिथियाँ निर्धारित की गई हैं-

क्र.	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1.	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 09/09/2024 से दिनांक 31/01/2025 तक

नोट-

- उपरोक्त निर्धारित अंतिम तिथि 30/01/2025 तक ऑनलाइन आवेदन करें एवं दिनांक 31/01/2025 तक आवेदन की हार्डकॉपी, आवश्यक दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर **संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र** को प्रस्तुत करें।
- PFMS के माध्यम से आधार आधारित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि ही करना सुनिश्चित करें।


- वर्ष 2024-25 से अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से OTR की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय की जानी है।
- उक्त अंतिम तिथि के पश्चात् यदि संबधित विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जावेगी तो ऐसे आवेदनों को प्रोसेस नहीं किये जायेंगे जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- संलग्न :- छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं सूची।

आदेशानुसार  
  
 कुलसचिव

क्र. 654 / पौ.मै.छा.शा. / 2024  
 प्रतिलिपि-

बिलासपुर, दिनांक 26/12/2024

1. निज सचिव कुलपति को , माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. क्षेत्रीय समन्वयक, बिलासपुर, रायपुर, अम्बिकापुर, जशपुर, जगदलपुर, दुर्ग, उप क्षेत्रीय केन्द्र कांकेर को सूचनार्थ।
4. विभाग प्रमुख वेबसेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सूचना पत्र को विश्वविद्यालय की वेब साईट में अपलोड करें।

  
 क्षेत्रीय समन्वयक  
 क्षेत्रीय सेवा प्रभाग